भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3865

दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मत्स्य किसान विकास एजेन्सियां

3865. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक राज्य में कार्य कर रही मत्स्य किसान विकास एजेन्सियों की संख्या कितनी है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मत्स्यपालन के विकास हेतु राज्य में ऐसी एजेन्सियों द्वारा क्या कार्य प्रारंभ किए गए हैं; और
(ग) कर्नाटक की मत्स्य किसान विकास एजेन्सियों की सहायता हेतु उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय सहायता कितनी है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क)से(ग): कर्नाटक सरकार ने यह बताया है कि वर्ष 2011-12 से कर्नाटक राज्य में मत्स्य किसान विकास एजेन्सियाँ कार्य नहीं कर रही हैं। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित योजना "नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन" मात्स्यिकी विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य में मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास के लिए विगत तीन वर्षों अर्थात- 2016-17 से 2018-19 के दौरान कर्नाटक सरकार को कुल 120.42 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

******